पाँच रुपये FIVE RUPEES

(214)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

बैठक स्थान – भोपाल, जिला भोपाल, म0प्र0

निगरानी-307/2019/सीहोर/भू0रा0

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक : ..../2019

श्री राजेन्द्र वर्मा अभिभाषक
26-2-19 को प्रस्तुत
किया।
26-2-19

1– मोहम्मद जुबेर आ0 स्वर्गीय मो0 इलियास, आयु 39 वर्ष,
2– मोहम्मद अब्दुल्ला आ0 स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 37 वर्ष,
3– मोहम्मद तारीक आ0 स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 35 वर्ष,
4– मोहम्मद बिलाल आ0स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 31 वर्ष,
धंधा कृषि, निवासी मोहल्ला काजीपुरा, कस्बा आष्टा
तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0
पिन– 466116 ... आवेदकगण

//विरूद्ध//

शेख इस्माईल आ0 शेख चांद, आयु 50 वर्ष,
जाति मुसलमान (शेख), धंधा कृषि,
निवासी मोहल्ला काजीपुरा, कस्बा आष्टा,
तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0
पिन– 466116 .... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता,1959.

श्रीमानजी,

आवेदकगण, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल, संभाग भोपाल, म0प्र0, जिन्हें "**पुनरीक्षण आवेदन पत्र ज्ञापन**" में "**माननीय अधीनस्थ न्यायालय**" कहा गया है, द्वारा प्रकरण कमांक 265/अन्तरण/2018–19 मोहम्मद जुबेर आदि विरूद्ध शेख इस्माईल में पारित आदेश दिनांक 06.02.2019, जिसे "**पुनरीक्षण आवेदन पत्र ज्ञापन**" में आगे सिर्फ "**आलोच्य आदेश**" लिखा गया है, के विरूद्ध निम्नानुसार वर्णित तथ्यों एवं विधि–आधारों पर पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं :–

Abdullah

Tarik

M Bilal

पुनरीक्षण आवेदन पत्र ज्ञापन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0307 /2019/सीहोर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के प्रकरण अंतरण आवेदन पत्र निरस्त करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा उचित कारण बताते हुए अंतरण आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया निगरानी में फेरफार करने के समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	